BILL NO. 06 OF 2022

THE DELHI ELECTRICITY REFORMS (AMENDMENT) BILL, 2022

DVS

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 29 March, 2022)

RAJ KUMAR
Secretary
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi-110054

Bill No. 06 of 2022

THE DELHI ELECTRICITY REFORMS (AMENDMENT) BILL, 2022

A BILL

I. to amend the Delhi Electricity Reforms Act, 2000. Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy Second year of the Republic of India as follows : -

1. **Short title, extent commencement and application** – This Bill may be called the Delhi Electricity Reforms (Amendment) Bill, 2022.

2. Amendment of Section 6 - For sub-section (1), the following shall be substituted namely : -

"Terms of office, conditions of service etc. of Members – (1) Chairperson or every member shall hold office for a period of five years from the date of his appointment as Chairperson or member or until the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment at any time after the expiry of his term of appointment.

DVS

SATYENDAR JAIN
Minister of Health, Home,
PWD, Industries, Urban Development,
I&FC, Govt. of NCT of Delhi
702-A, Delhi Secretariat, I.P. Estate
New Delhi-110002

THE DELHI ELECTRICITY REFORMS (AMENDMENT) BILL, 2022

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

The Delhi Electricity Reform Act, 2000 (Section 3 (1) PART II) provides for establishment and Constitution of Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC). The Commission shall consist of not more than three members including the Chairperson to be appointed by the Government (Section 3 (2)). Section 6(1) of the Delhi Electricity Reforms Act, 2000 provides that:-

> *"Terms of office, conditions of service etc. of Members – (1) Every member shall hold office for a period of five years from the date of his appointment as member or until the age of sixty-five years, whichever is earlier, and he shall not be eligible for re-appointment at any time after the expiry of his term of appointment;"*

The Andhra Pradesh Government has made amendment on 21st April, 2016 in the Andhra Pradesh Electricity Reform Act, 1998 and in the Electricity Act, 2003 (with the assent of Hon'ble President of India) for the application of the following provisions to the State of Andhra Pradesh : -

a. In the Andhra Pradesh Electricity Reform Act, 1998, in section 6, for sub-section (1), the following shall be substituted namely: -
"Every Member of the Commission shall hold office for a period of five years from the date of his appointment as Member or until the age of seventy years, whichever is earlier.

Provided that the member shall be eligible for re-appointment in the same capacity and shall hold office as such, till he completes the term of five years including the term already held before such re-appointment or he has attained the age of seventy years, which-ever is earlier."

b. In the Electricity Act, 2003, in section 89, in sub-section (1) for the existing two provisos, the following provisos shall be substituted, in their application to the State of Andhra Pradesh, namely: -

"Provided that the Chairperson or other Member in the State Commission shall be eligible for re-appointment in the same capacity and shall hold office as such, till he completes the term of five years including the term already held before such re-appointment.

Provided further that no Chairperson or Member shall hold office as such he attained the age of seventy years."

DVS

Satyendar Jain
Minister of Health, Home, Power, PWD, Industries, Urban Development
GNCT of Delhi

The Chairperson and Members of the Central Electricity Authority constituted under section 70 of the Electricity Act, 2003 shall hold office during the pleasure of the Central Government without age limit.

The Chairperson of the Appellate Tribunal under section 114 of the Electricity Act, 2003 shall hold office until he attains the age of 70 years with the possibility of being appointed for two terms of three years each.

The Chairperson of a State Consumer Disputes Redressal Commission constituted under the Consumer Protection Act, 1986, who is a former High Court Judge shall hold office until he attains the age of 67 years.

Further, the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 14697 of 2015 titled as State of Gujarat & Others Vs. Utility Users' Welfare Association & Others vide its judgment dated 12th April, 2018 has directed that it is mandatory that there should be a person of law as a Member of the Commission, which requires a person, who is, or has been holding a judicial office or is a person possessing professional qualifications with substantial experience in the practice of law, who has the requisite qualifications to have been appointed as a Judge of the High Court or a District Judge.

In Regulatory Commissions, it has been found that most of persons who join after their retirement at the age of 62 or 60 or later are not able to complete full five-year term. With the mandatory directions of Hon'ble Supreme Court of India and existing provisions of section 6(1) of DERA, 2000 and section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the judges/persons who joined the DERC after the age of 62 or 60 will not get the complete tenure of 5 years as Chairperson & Members of the Commission.

In DERC, since its inception, most of the Chairman and Members have not been able to complete their full five year term due to facts that they joined after their retirement after the age of 60, 62 or later and also due to restriction of upper age limit of 65 years. Same is the case with present incumbents in the Commission.

Further, it is also felt necessary to raise the maximum age limit of 65 years to 70 years for the Chairperson or a Member of the Delhi Electricity Regulatory Commission by amending section 6(1) of the Delhi Electricity Reforms Act, 2000 and section 89(1) of the Electricity Act, 2003 so that it is consistent with the proviso to sub-section (3) of section 185 of the Electricity Act, 2003.

DVS

In the proposed Bill, the provisions have been made to safeguard an assured term of five years for the Chairperson and Members of the Delhi Electricity Regulatory Commission to ensure continuity, consistency and efficiency in the functioning of the Commission.

The Bill seeks to achieve the above mentioned objectives.

Hence the Bill.

(SATYENDAR JAIN)
MINISTER (POWER)

Delhi

Date : 28/03/2022

DVS

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Electricity Reforms (Amendment) Bill, 2022 does not involve any additional financial expenditure to the Government of NCT of Delhi.

(SATYENDAR JAIN)
MINISTER (POWER)

Delhi

Date : 28/03/2022

DVS

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Electricity Reforms (Amendment) Bill, 2022 does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.

(SATYENDAR JAIN)
MINISTER (POWER)

Delhi

Date : 28/03/2022

DVS

2022 का विधेयक संख्यांक 06

दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022

DVS

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 29 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित किया गया)

राज कुमार
सचिव
दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

2022 का विधेयक संख्यांक 06

दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022

विधेयक

I. दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए। भारत गणराज्य के 72 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार प्रारंभ और लागू करना - इस विधेयक को दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 कहा जा सकता है

2. धारा 6 का संशोधन, उप-धारा (1) के लिए, निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित होगा:-

"कार्य की शर्तें, सदस्यों की सेवा की शर्तें आदि - (1) अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारण करेगा,और वह उनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा"

DVS

दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक 2022

उद्देश्य और कारणों का विवरण

दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की (धारा 3(1) भाग(II) में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना और संविधान द्वारा प्रदिप्त किया गया है । धारा 3(2) में आयोग ने सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष सहित 3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे का प्रावधान किया है । दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 6(1) में प्रावधान है कि:-

कार्यालयी नियम, सदस्यों की सेवा एवं शर्तें आदि- (1) सभी सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए और 65वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण कर सकता है और वह अपनी नियुक्ति की समाप्ति के बाद किसी भी समय पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ।

आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1998 और विद्युत अधिनियम 2003 (भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति से) 21 अप्रैल 2016 का आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने के लिए संशोधन किया है :-

क) आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1998 में उपधारा(1) के लिए धारा 6 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थातः-

आयोग का प्रत्येक सदस्य, सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा ।

सशर्त कि सदस्य उसी क्षमता मे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा और जब तक वह पुनर्नियुक्ति से पहले से ही धारित कार्यकाल सहित पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता अथवा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, तब तक वह पद पर बने रहेंगे ।

ख) आंध्र प्रदेश राज्य में उनके आवेदन में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 89 की उपधारा (1) में मौजूद दो प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाएंगे :-

'शर्त एव 'नियम' राज्य आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उसी क्षमता में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे और जब तक वह इस तरह की पुनर्नियुक्ति से पहले से ही धारित कार्यकाल सहित पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेते, तब तक वह पद पर बने रहेंगे ।

ज्ञात रहे कोई भी अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

DVS

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 70 के तहत गठित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य बिना आयु सीमा के केंद्रसरकार के अनुरूप पद धारण करेंगे ।

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 114 के तहत 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक तीन साल के दो कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाने के लिए संभावित हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयेग के अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे ।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 14697, 2015 में गुजरात बनाम अन्य के रूप में यूटिलिटी यूजर्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य ने 12 अप्रैल 2018 के अपने फैसले में यह अनिवार्य किया कि आयोग के सदस्य के रूप में कानून का एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो पेशेवर योग्यता रखता हो अथवा कानून के अभ्यास में पेशेवर योग्यता रखता हो । जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योगताएं हों । यह सुनिश्चित किया ।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनिवार्य निर्देशों और डीईआरए 2000 की धारा 6(1) और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 89(1) के मौजूद प्रावधानों के अनुरूप जो न्यायाधीश/व्यक्ति, जो कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में62 या 60 या उसके बाद की आयु में सेवा निवृत्ति के बाद शामिल हुए हैं । जो कि सेवानिवृत्ति के बाद शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति पूरे पांच साल का कार्य काल पूरा नहीं कर पाते हैं । आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप को 62 या 60 साल को पांच वर्ष का पूर्ण कार्य काल नहीं मिलेगा ।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के स्थापना के बाद से अधिकांश अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल को उपरोक्त प्रतिबंधित मापदण्डों के कारणवश पूर्ण नहीं कर पाए । जोकि 60, 62 या उसके बाद की आयु के बाद सेवानिवृत हुए कर्मियों के लिए 65 वर्ष निर्धारित हैं । आयोग में वर्तमान पदाधिकारियों की भी यही परिस्थिति है ।

इसके अलावा, दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 6(1) व धारा 89(1) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत अधिनियम2003 की धारा 185 की उप धारा (3) के प्रावधान के अनुरूप हो ताकि अध्यक्ष व सदस्यों के लिए 65 से 70 साल की आयु सीमा सुनिश्चित हो सके।

DVS

प्रस्तावित विधेयक में, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के पांच साल की अवधि की सुरक्षा के काम काज में निरंतरता, कुशलता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किये गये हैं ।

इसलिए विधेयकउ पर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयासरत है ।

दिल्ली

दिनाँक 28/03/2022

(सत्येंद्र जैन)

मंत्री (ऊर्जा)

DVS

वित्तीय ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक 2022 में कोई भी अतिरिक्त वित्तीय व्यय शामिल नही है।

दिल्ली

दिनाँक 28/03/2022

(सत्येंद्र जैन)
मंत्री (ऊर्जा)

DVS

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक 2022 के अन्तर्गत किसी भी अधीनस्थ पदाधिकारियों को कानून की शक्ति प्रदान नहीं की गई है ।

दिल्ली

दिनाँक 28/03/2022

(सत्येंद्र जैन)

मंत्री (ऊर्जा)

DVS